फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

वाद संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	28/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उप0 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस को मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। लगान निर्धारण निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास (सुनाया) गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
40 / 2024	21 / 03 / 2024	13 / 06 / 2024

1. पंकज पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति पंजिकृत संख्या 540 / 1996–1997 पता ग्राम निमडीया, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान जरिए सचिव सुमित्रादेवी पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर।

वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र रामनाथ – नाम हजफ (फौत)
2. अजयपाल पुत्र रामकल्याण
3. राजपाल सिंह पुत्र रामकल्याण

जातियान गुर्जर निवासी ग्राम निमडीया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिए प्राधिकृत अधिकारी जोन जमवारामगढ जयपुर विकास प्राधिकृत जयपुर जिला जयपुर ग्रामीण।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादी।
श्री शंशाक चतुर्वेदी :– वकील प्रतिवादी सं0 3

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की हक काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 403 / 350 रकबा 0.2000है0 भूमि वाके ग्राम निमडीया तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिस पर वादी साधिकार काबिज है। उक्त भूमि में वादी का पुख्ता विद्यालय भवन मय निर्मित चारों तरफ की पुख्ता आउण्ड्रीवाल सहीत वर्ष 1997 से विद्यालय भवन संचालित होकर चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पडोसी खातेदार है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 झगडालू प्रवृति के लोग है तथा इन्होने एक भूमाफिया गिरोह बना रखा है। दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 संगठित होकर राजस्थान सरकार लिखि हुई बोलेरो गाडी मं अन्य 3–4 व्यक्तियों को लेकर भूमि वादग्रस्त पर आये । प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ आये व्यक्ति अपने आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी बता रहे थे तथा स्वयं को वादी का पडोसी खातेदार होना भी बता रहे थें। उक्त व्यक्ति वादी की उपरोक्त मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर आये तथा वादी की पुख्ता विद्यालय संचालित भवन व चार दिवारी निर्मित भूमि में जबरन घुसकर वादी की भूमि को अपनी भूमि बताकर उससे वादी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि जे0डी0ए0 में हमारा रिश्तेदार कार्यरत है। हम वहॉ से तुम्हारी बाउण्ड्रीवाल व संचालित स्कूल भवन को तुडवाकर तुम्हे इससे बेदखल करके रहेगे। तथा तुम्हारी बाउण्ड्रीवाल तोडकर भूमि को हमारे कब्जे में लेकर इसको हमारी भूमियों में मिलाएगें। तथा प्रतिवादी व उनके साथ आये व्यक्यिों ने संगठित होकर पुनः वादी को धमकी दी कि हमारे पास सरकार का डंडा है, यदि तुमने राजी–राजी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के कहे अनुसार उनकी मांग नही मानी तो पुलिस थाना व उच्चाधिकारीयों से हमारी सांठ–गांठ है तथा हम सरकारी संस्था के कर्मचारी है। हम तुम्हारे खिलाफ राजकार्य का मुकदमा दर्ज करवाकर अन्दर करवा देगे। प्रतिवादीगण संख्या व बाहुबल में वादी से अधिक है, तथा अपने ऊचे रसूखात के चलते वादी को उसके विद्यालय संचालित भवन व चारदीवारी निर्मित भूमि को जबरन हथियाकर वादी को बेदखल करना चाहते है। इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादी अपनी मद नम्बर 1 वर्णित विद्यालय

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

संचालित भवन व चारदीवारी निर्मित भूमि के किसी भी हिस्से भू भाग पर जबरन कब्जा नही करें। भूमि में जबरन प्रवेश नही करें, वादी के विद्यालय संचालित भवन व निर्मित चारदीवारी को क्षतिग्रस्त नही करें, भवन व बाउण्ड्रीवाल मे तोड फोड नही करें। तथा वादी को मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे मे दखल, मुजाहमत आदि नही करे। इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी मुस्तहक है, अन्यथा प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त वादग्रस्त विद्यालय संचालित भवन व चारदीवारी निर्मित भूमि मे जबरन कब्जा करके, तोडफोड करके खुर्दबुर्द कर देगे, जिससे वादी को फिजूल की कानूनी खाराजोही व मुकदमेबाजी का शिकार होना पडेगा, जिससे वादी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा और अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य मे सम्भव नही होगी। अतः प्रतिवादीगणो को जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित भूमि के किसी भी हिस्से भू भाग पर जबरन कब्जा नही करें, वादी की भूमि मे जबरन प्रवेश नही करें, वादी के विद्यालय संचालित भवन व निर्मित चारदीवारी को क्षतिग्रस्त नही करें, भवन व बाउण्ड्रीवाल से तोड फोड नही करें, तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे मे बाधा–दखल व मुजाहमत आदि नही करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से एड0 श्री शशांक चतुर्वेदी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत बाबत प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ करने हेतु पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ किया गया। वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं कों दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है तथा बिन्दू सं0 2 आंशिक स्वीकार है। बिन्दू सं0 3 अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि मिनउत्तरदाता की वादी के पडोसी खातेदार काश्तका है। दिनांक 15.03.24 को मिनउत्तरदाता के घर पर उससे मिलने के लिए उसके परिचित लोग आये थे। जिन्होने वादी की बाउण्ड्रीवाल निर्मित भूमि में दरवाजे के आगे अपनी गाडी लगा दी थी, जिसकों लेकर वादी व मिनउत्तरदाता के मध्य नोक–झोक हुई थी। मिनउत्तरदाता से मिलने आये रिस्तेदारों में एक व्यक्ति ने भावुकता में आकर आपसी कहा सुनी हुई थी। मद में वर्णितानुसार कोई घटना घटित नही हुई है। वादी की भूमि चारों तरफ से बाउण्ड्रीवाल निर्मित भूमि है जिसके लोहे का गेट लगा हुआ है, वादी की भूमि से मिनउत्तरदाता का कोई लेना देना नही है ना ही मिन उत्तरदाता वादी की भूमि को हडपा चाहते है वरन वादी मिनउत्तरदाता से रंजिस रखते आये है। वादी की भूमि चारों तरफ से बाउण्ड्रीवाल निर्मित भूमि है जिस पर वादी साधिकार काबिज काश्त है। जिससे मिनउत्तरदाता का कोई हक, संबंध तथा लेना देना नही ह ैना ही मिन उत्तरदाता वादी की भूमि को हडपना चाहते है। फिर भी यदि वादी अपनी पुख्ता बाउण्ड्रीवाल निर्मित भूमि खसरा नम्बर 403/350 वाके ग्राम निमडीया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर की हद तक मिनउत्तरदाता के विरूद्व कोई अनुतोष चाहता है तो इसमें मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 403/350 रकबा 0.2000 है0 वादी की भूमि में जबरन प्रवेश नही करें, तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे में बाधा दखल व मुजाहमत आदि नही करे, मौके की यथास्थिति बनाए रखे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, मजदूर आदि से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13/06/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इकतरफा

(औ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0

पंकज पब्लिक स्कूल बनाम हीरालाल मीणा

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 40/2024 निर्णय दिनांक 13.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री [illegible] मीणा आर0ए0एस0 व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील वादी एवं श्री शशांक चतुर्वेदी वकील प्रतिवादी सं0 2 व 3 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजोरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 403/350 रकबा 0.2000 हे0 वादी की भूमि में अवैध प्रवेश नहीं करे, तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे में बाधा मदाखलत व मुजाहमत आदि नहीं करे, मौके की यथास्थिति बनाए रखे, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, मजदूर आदि से करावे तदनुसार डिक्री जारी हो।

डिक्री आज दिनांक 13/06/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर